

दिनांक-27.08.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- संलग्न (परिशिष्ट-1)।

विषय : राढ़ जलाशय योजना के DPR की स्वीकृति।

चर्चा एवं निदेश -

- (1) Consulting Agency एवं केन्द्रीय रूपांकण द्वारा प्रस्तुति की गई।
- (2) Consulting Agency एवं केन्द्रीय रूपांकण के Observations पर चर्चा से स्पष्ट हुआ कि DPR में व्यापक खामियाँ हैं एवं केन्द्रीय रूपांकण द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु सुझाव दिये गये।
- (3) जल-विज्ञान, भूगर्भ रिपोर्ट, बाँध एवं नहर रूपांकण, जलाशय एवं कमाण्ड एरिया सर्वे आदि विषयों से संबंधित सुझाव दिये गये।
- (4) मुख्य अभियंता, राँची ने बताया कि जलाशय एवं कमाण्ड एरिया का ग्रिड सर्वे कर village map पर Contouring कर नक्शे उनके पास उपलब्ध हैं, जो तुरंत केन्द्रीय रूपांकण को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।
- (5) Consulting Agency ने जल विज्ञान पर केन्द्रीय रूपांकण के मंतव्य को समाहित करते हुए 10.09.2013 तक अंतिम रूप से सहमति प्राप्त करने की बात कही।
- (6) भूगर्भ रिपोर्ट के संबंध में Consulting Agency द्वारा स्थलीय अड़चनों के कारण IS code के अनुसार समुचित drilling नहीं कर पाने की बात कही गई तथा उपरी सतह एवं भूगर्भ के आधार पर स्थल को उपर्युक्त मानने की बात कही गई। केन्द्रीय रूपांकण द्वारा इसे अपर्याप्त बताया गया। Consulting Agency द्वारा GSI से मंतव्य प्राप्त करने में समय लगने की बात कही गई। निदेश दिया गया कि Consulting Agency मुख्य अभियंता, राँची के माध्यम से GSI से सम्पर्क कर शीघ्र मंतव्य प्राप्त करें। Dr. D.K.Singh, SE, Design Planning & Monitoring GSI के साथ Co-ordinate कर शीघ्र निष्पादन करायेंगे।
- (7) Consultants ने Concrete Dam एवं Earthen Dam की संभाव्यता पर Design सहित Comparative Cost analysis केन्द्रीय रूपांकण को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- (8) राढ़ जलाशय योजना हेतु जल के निर्धारण के संबंध में Tripartite agreement पर चर्चा हुई। मुख्य अभियंता, राँची इस संदर्भ में वस्तुस्थिति से केन्द्रीय रूपांकण को अवगत करायेंगे।
- (9) Consulting Agency उपरोक्त विन्दुओं पर आवश्यक निराकरण के उपरान्त केन्द्रीय रूपांकण के पास बैठकर योजना के सभी अवयवों की सटीक Planning कर रूपांकण करेंगे एवं तदनुसार Cost Calculate कर B.C. Radio का निर्धारण हो सकेगा। B.C. Radio निर्धारण में योजना से संबंधित सभी प्रकार के Benefits के आकलन में Dr. D.K. Singh, SE, Design Planning & Monitoring Co-ordinate करेंगे।
- (10) तत्काल किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। CSG द्वारा कार्य पर संतोष प्रकट करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

(11) उपरोक्त सभी कार्य हेतु 2 माह का समय निर्धारित किया गया, परन्तु इसकी समीक्षा पुनः 1 माह उपरान्त की जानी है। केन्द्रीय रूपांकण एवं मुख्य अभियंता, राँची द्वारा प्रत्येक CSG की बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करवा जायेगा।

(12) भविष्य में DPR हेतु EoI निर्गत करने हेतु Dr. D.K.Singh, SE, Design Planning & Monitoring 15 दिनों के अन्दर एक Guide line Booklet तैयार करेंगे। इस कार्य के लिये वे 3-4 अभियंताओं को शामिल करेंगे।

शेष विषयों पर अगली CSG बैठक में विचार करने का निदेश। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

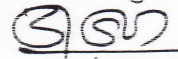

(बी०सी०निगम)

विशेष सचिव

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-759 / राँची, दिनांक- 2.9.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अग्रिम योजना/(यांत्रिक), राँची /रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)



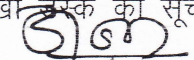
28/12/13
(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-759 / राँची, दिनांक- 2.9.2013

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-I/अभियंता प्रमुख-II/परामर्शी-I/ परामर्शी-II, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल-1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा-वेब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

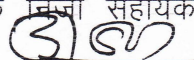


28/12/13
(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-759 / राँची, दिनांक- 2.9.2013

प्रतिलिपि : माननीया मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

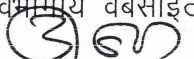


28/12/13
(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)

पत्रांक : 2 / PMC / CSG-69 / 2011-759 / राँची, दिनांक- 2.9.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।



28/12/13
(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता(मो०)